संख्या–569/33–1–2013–400डब्लू/2008

प्रेषक,

आलोक रंजन,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 18 फरवरी, 2013

विषयः– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर रिट याचिका संख्या–3422(एस0बी0)/2008 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संघ उत्तर प्रदेश बनाम राज्य सरकार में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकः 22–04–2008 के अनुपालन में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) संघ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकः 12–05–2008 का निस्तारण करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या–3410/33–1–2008– 400डब्लू/2001 दिनांकः 19–12–2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– दिनांकः 18–05–2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के लिए अलग से कार्यालय स्थापित करने के आदेश से खण्ड विकास अधिकारी के ब्लाक स्तर पर समन्वय के दायित्व के बारे में असमंजस की स्थिति शासन के संज्ञान में लायी गयी।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकः 19–12–2008 के अनुक्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

(1) पंचायतों के बढ़े हुए कार्यो के दृष्टिगत शासनादेश दिनांकः 19–12–2008 द्वारा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों के विकास खण्ड भवन में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय हेतु आवंटित कक्ष का अस्तित्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय के रूप में होगा।

(2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का अवकाश स्वीकृत किये जाने व प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने का खण्ड विकास अधिकारी का प्राधिकार पूर्ववत् बना रहेगा।

(3) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समीक्षा में खण्ड विकास अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा और भ्रमण–कार्यक्रम सूचित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्याः–569 (1)/33–1–2013–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
5– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त उप निदेशक (पंचायत) उ0प्र0।
8– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।